राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–2147 / 2015 / जयपुर

मै0 कमल ट्रेडर्स, 69 / 1,
प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर ...अपीलार्थी

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त–सी, जयपुर
2. अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय,
वाणिज्यिक कर,
जयपुर ...प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रमेश चन्द गुप्ता
अभिभाषक ...अपीलार्थी की ओर से
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक ...प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 11.04.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 300 / अपील्स–III / 14–15 / सी में पारित आदेश दिनांक 12.08.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–सी, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2008–09 हेतु पारित आदेश दिनांक 07.01.2011 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम 2003"** कहा जायेगा) की धारा 23 व 24 के तहत कायम की गई मांग राशि रू 43,417 / – को विवादित करने पर अपील प्रतिप्रेषित की गयी है जिससे व्यथित होकर व्यवसायी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने ट्रेडिंग अकाउंट की जांच करते समय यह पाया कि राशि रू. 2,19,237 / – क्रेडिट नोट जारी करना दर्शाया है परन्तु उक्त क्रेडिट नोट किस बिक्री के तहत किया गया है यह स्पष्ट नहीं होता है व इसी आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त क्रेडिट नोट को बिक्री में शामिल करते हुये कर व ब्याज का आरोपण किया है। अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण में कोई जांच नहीं करने व व्यवसायी को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान नहीं करने के कारण प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि कर निर्धारण अधिकारी इस संबंध में विस्तृत जांच कर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें। विद्वान अभिभाषक व्यवसायी की ओर से मुख्य कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी द्वारा प्राप्त किये गये क्रेडिट नोट की राशि पर करारोपण किया है जो माननीय

लगातार..............2

राजस्थान कर बोर्ड अजमेर द्वारा अपील सं. 119/2014 सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त–अ, भरतपुर बनाम मै. मित्तल सीमेन्ट हाऊस, भरतपुर निर्णय दिनांक 15.09.2014 के प्रकाश में विधिसम्मत नहीं है। विचाराधीन प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि क्रेडिट नोट व्यवसायी द्वारा प्राप्त किये गये है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 07.01.2011 में यह कथन किया है कि व्यवसायी द्वारा क्रेडिट नोट किस बिक्री के एवज में दिये गये है, यह स्पष्ट नहीं होता है। इस प्रकार क्रेडिट नोट व्यवसायी द्वारा प्राप्त किया गया है या जारी किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा विस्तृत जांच कर पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है जो विधिसम्मत है तथा इसमे हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी व्यवसायी की अपील अस्वीकार किये जाने के योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

4. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य